<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

(12.12.2022)

लोक सभा सचिवालय
संसद भवन
नई दिल्ली
<u>'भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति: संभावनाएं और सीमाएं' विषय संबंधी प्रतिवेदन</u>

श्री पी. पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली विदेशी मामलों संबंधी समिति ने आज दिनांक 12.12.2022 को 'भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति: संभावनाएं और सीमाएं' विषय संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। यह प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 05 सितम्बर, 2022 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

<u>कतिपय महत्वपूर्ण टिप्पणियों/ सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:</u>

1. **<u>विदेश मंत्रालय को भारत की साफ्ट पावर प्रोजेक्शन संबंधी एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है।</u>**

1.20 समिति इससे अवगत है कि सॉफ्ट पावर क्षमताओं की किसी देश और उसके राष्ट्रीय हितों के बारे में सकारात्मक समझ को बढ़ाने में बहुत प्रासंगिकता और क्षमता है। सॉफ्ट पावर के अपने व्यापक साधन के साथ भारत को कई अन्य देशों की तुलना में एक निश्चित लाभ है। तथापि, हमारी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन पर एक स्पष्ट नीति न बनाए जाने के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। समिति को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि समिति द्वारा 16वीं लोक सभा के अपने 13वें प्रतिवेदन में इस संबंध में विशिष्ट सिफारिश करने के बावजूद नीति अभी भी परामर्श के चरण में है। अत:, समिति ने पुरजोर रूप से यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय भारत की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन पर एक नीति दस्तावेज तैयार करे, जिसमें भारत के सॉफ्ट पावर संबंधी साधन और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण (विजन स्टेटमेंट) के साथ इसे विदेशों में प्रस्तुत किए जाने के तरीके के बारे में बताया गया हो।

(सिफारिश संख्या 2)

2. <u>सरकार को कहा गया है कि वह प्राथमिकता आधार पर साफ्ट पावर प्रोजेक्शन संबंधी बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का औपचारिक अध्ययन करे।</u>

1.21 समिति ने यह नोट किया है कि मंत्रालय ने कुछ देशों की सॉफ्ट पावर गतिविधियों का विश्लेषण करके केवल इनपुट एकत्र किए हैं और अन्य देशों द्वारा सॉफ्ट पावर साधनों का लाभ उठाने के तरीके के बारे में बेहतर अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों पर अभी तक कोई औपचारिक अध्ययन भी नहीं किया है। मंत्रालय की ऐसी अनौपचारिक टिप्पणियों के आधार पर, समिति ने नोट किया है कि चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का सॉफ्ट पावर संगठन भाषा संवर्धन, नेतृत्व कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियों और कला रूपों पर केंद्रित है। यद्यपि समिति को इस बात की जानकारी है कि आईसीसीआर इनमें से अधिकांश कार्यकलाप करता है, लेकिन समिति यह महसूस करती है कि ऐसी गतिविधियों में सुधार और इनके विस्तार की व्यापक गुंजाइश है। अत:, समिति की यह सुविचारित राय है कि सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की बेहतर अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों का औपचारिक अध्ययन प्राथमिकता आधार पर किया जाए और

भारत के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन और रणनीति को तैयार करते समय ऐसे अध्ययन से सीखने पर ध्यान दिया जाए।

(सिफारिश संख्या 3)

3. <u>सरकार को यह कहा गया कि वह 'साफ्ट पावर मैट्रिक्स' के माध्यम से साफ्ट पावार परिणामों के मूल्यांकन के लिए उद्देश्यपरक मैट्रिक्स विकसित करे।</u>

1.30 समिति इस बात से अवगत है कि साफ्ट पावर के अमूर्त तत्वों की मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है। मंत्रालय ने यह बताया है कि मैट्रिक्स तैयार करने की प्रक्रिया में दो कारकों में देरी हुई है, नामत: सॉफ्ट पावर से संबंधित गतिविधियों के परिणामों को आंकने में चुनौती और विशेषज्ञता की कमी। वर्तमान में, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आईसीसीआर और अन्य थिंक टैंकों के विचाराधीन है।

तथापि, समिति ने यह महसूस किया है कि एक अध्ययन हमारी सॉफ्ट पावर और राजनय के क्षेत्र में ठोस परिणामों के बीच संबंध स्थापित कर सकता है और इसलिए समिति भारत के सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स को तैयार करने में अत्यधिक देरी को समझ नहीं पाई। ऐसे कई वैश्विक संस्थान और संगठन हैं जिन्होंने सॉफ्ट पावर को आंकने के लिए सूचकांक तैयार किए हैं। मंत्रालय को ऐसे उपलब्ध आंकड़ों से समझना चाहिए और इसे मैट्रिक्स तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करना चाहिए। समिति ने अपने रवैये को दोहराया है और पुरजोर सिफारिश की है कि मंत्रालय के पास सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स के माध्यम से सॉफ्ट पावर परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए यथाशीघ्र उद्देश्यपरक मैट्रिक्स होने चाहिए।

(सिफारिश संख्या 5)

4. <u>भारत की साफ्ट पावर प्रोजेक्शन और सांस्कृतिक कूटनीति में शामिल विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता।</u>

1.38 विदेश मंत्रालय ने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक राजनय के प्रभावी संचालन को रोकने वाले चार प्रमुख कारकों को उजागर किया है - अपर्याप्त बजटीय

आवंटन, अनेक संस्थानों के बीच समन्वय की कमी, कुशल जनशक्ति की कमी और आईसीसीआर के अधिदेश के बारे में स्पष्टता की कमी। समिति ने नोट किया है कि विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों जैसे कि संस्कृति मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि के साथ अनौपचारिक व्यवस्था की है। समिति ने यह भी नोट किया है कि नीति आयोग ने समन्वय की कमी के मुद्दे के संबंध में तीन विचारावेश सत्र आयोजित किए थे और एक समन्वय समिति के गठन का सुझाव दिया था जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हों। विदेश मंत्रालय और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में शामिल अन्य लाइन मंत्रालयों के बीच एक समन्वित तंत्र स्थापित करने के संबंध में समिति की सिफारिश के अनुसरण में, समिति ने नोट किया है कि विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में निगरानी समिति विचाराधीन है। भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक राजनय में शामिल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के बीच अधिक सहक्रिया और समन्वय की तत्काल आवश्यकता के मद्देनजर समिति ने यह सिफारिश की है कि समन्वय समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(सिफारिश संख्या 6)

5. <u>मंत्रालय से विदेश में पर्यटन कार्यालयों को बढ़ाने तथा प्रोत्साहन कार्यों हेतु देश-विशिष्ट दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया गया है।</u>

2.40 समिति इस बात से अवगत है कि पर्यटन किसी देश की सॉफ्ट पावर पूंजी का एक प्रमुख सूचक है। समिति को यह बताया गया है कि पर्यटन मंत्रालय विश्वभर में अपने आठ कार्यालयों के साथ देश के पर्यटन स्थल और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य लाइन मंत्रालयों के साथ मिल कर काम कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "अतुल्य भारत" अभियान शुरू करने, पर्यटन मेलों/प्रदर्शनियों/एक्सपो/रोड शो में भागीदारी, देशों के साथ समझौतों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने, आरोग्यता और चिकित्सा पर्यटन क्षेत्रों की पहचान करने, बौद्ध सर्किट/तीर्थ यात्रा के बारे में जागरूकता फैलाने आदि जैसे विभिन्न प्रयास भी किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाओं के साथ भारत के 'अतिथि देवो भव' के सदियों पुराने भारतीय दर्शन से समिति

को विश्वास है कि भारत की वैश्विक पहुंच में वृद्धि निश्चित है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अतुल्य भारत अभियान ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने में प्रभावी रहा है तथा आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नियमित रूप से सूचनात्मक पोस्ट और अपडेट दिए जा रहे हैं। समिति ने महसूस किया है कि विदेशों में पर्यटन कार्यालयों की संख्या बढ़ाने और संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए देश-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। अत:, समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह देश विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैकपैकर्स से लेकर हाई एंड पर्यटकों तक सभी प्रकार के यात्रियों के फीडबैक को शामिल करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

(सिफारिश संख्या 15)

6. <u>पर्यटन स्थलों और उनके आस-पास के स्थानों में पर्याप्त अवसंरचना का सृजन - संस्तुत</u>

2.41 समिति ने पाया है कि हमारे देश में ऐतिहासिक स्मारकों के प्रवेश टिकटों के लिए विभेदकारी मूल्य निर्धारण पद्धति मौजूद है। यह मानते हुए कि विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत है, समिति का विचार है कि इस तरह के विभेदकारी मूल्य निर्धारण से विदेशी यात्रियों के बड़े हिस्से का नुकसान होता है। इसके अलावा, एक वैश्वीकृत विश्व में नागरिकों और विदेशियों के लिए विभेदकारी मूल्य निर्धारण अनावश्यक है और इसलिए समिति चाहती है कि मूल्य निर्धारण प्रणाली पर फिर से विचार किया जाए। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि पर्यटक केंद्रों एवं विरासत स्थलों के आसपास पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण किया जाए और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाए तथा अधिकांश यूरोपीय देशों की तर्ज पर बहुत सारे विरासत स्थलों में प्रवेश के लिए एक ही सामान्य पर्यटक पास बनाने पर विचार किया जाए, ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और इन स्थलों पर लगने वाली लंबी कतारों से बचा जा सके।

(सिफारिश संख्या 16)

7. <u>भारत की चिकित्सा विधि ग्रंथ को लेकर आयुर्वेद को चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता देने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।</u>

2.64 समिति ने नोट किया है कि भारत विश्वभर में लगभग 100 देशों को आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात करता है तथा हमारे अधिकांश निर्यात औषधीय पौधों (हर्बल उत्पादों) के मूल्य वर्धित अर्क के रूप में और सम्पूरक आहार और न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में होते हैं। हालाँकि, आयुर्वेदिक उत्पादों को अभी भी विदेशों में मान्यता नहीं मिली है। मंत्रालय ने बताया है कि आयुर्वेद को ग्यारह देशों नामतः नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, मलेशिया, स्विटजरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, तंजानिया में मान्यता प्राप्त है। पांच यूरोपीय संघ के देशों- रोमानिया, हंगरी, लातविया, सर्बिया और स्लोवेनिया में आयुर्वेदिक उपचार को विनियमित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया है कि आयुर्वेद के पास कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा विधि ग्रंथ नहीं है और इसलिए इसे सम्पूरक आहार और न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि के रूप में निर्यात किया जा रहा है। समिति ने पुरजोर सिफ़ारिश की है कि सरकार आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिलाने और भारत के फार्माकोपिया को अपनाने के लिए संयुक्त प्रयास करे ताकि इसे औषधि के रूप में निर्यात किया जा सके। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश संख्या 21)

8. <u>सरकार को भारत की साफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को दर्शाने के लिए जन संपर्क रणनीति बनाने के लिए कहा गया है।</u>

2.74 समिति ने नोट किया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती, आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग, फिल्म सुविधाकरण कार्यालय आदि के माध्यम से भारत के साफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। सकारात्मक विवरण और कार्यसूची तैयार करना साफ्ट पावर कूटनीति के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। भारत के बारे में फैलाई जाने वाली नकारात्मक छवि से निपटने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि विदेश मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारतीय कहानियों को प्रभावी और सशक्त रूप से बतलाने के लिए एक जन संपर्क रणनीति तैयार करे।

(सिफारिश संख्या 23)

9. <u>सरकार को अपनी वैश्विक पहुंच के लिए डीडी इंडिया के फोकस, संरचना और कार्यकरण में सुधार करने का आग्रह किया गया है।</u>

2.75 समिति ने यह नोट किया है कि भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती, ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आउटरीच विकसित करने की प्रक्रिया में अंग्रेजी समाचार चैनल के रूप में 'डीडी इंडिया' चैनल को फिर से पुनर्भिविन्यासित किया है और अन्य देशों के प्रसारकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समिति ने यह महसूस किया है कि डीडी इंडिया को और अधिक नए सिरे से तैयार किये जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि इसे वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाया जा सके। सरकार से यह आग्रह किया गया है कि वह डीडी इंडिया के फोकस, ढांचे और कार्यकरण में सुधार के लिए एक योजना तैयार करे ताकि इसकी वैश्विक पहुंच को और बढ़ाया जा सके तथा समिति को अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए।

(सिफारिश संख्या 24)

10. <u>मंत्रालय से आग्रह किया गया है कि वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) के ढ़ांचे की रूप रेखा तैयार करे और तीन महीने के भीतर उसे प्रस्तुत करे।</u>

3.14 विदेश मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) एक नोडल संगठन है जिसे विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर के प्रोजेक्शन का काम सौंपा गया है। समिति इस बात से अवगत है कि आईसीसीआर का प्राथमिक अधिदेश बाह्य सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को सुदृढ़ करना है। विदेश मंत्रालय द्वारा समिति को यह सूचित किया गया है कि आईसीसीआर के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में, आईसीसीआर के संविधान के साथ-साथ अधिदेश के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रक्रिया में बाधा आ गयी। समिति की सुविचारित राय में आईसीसीआर की संरचना, अधिदेश और कार्यकरण में पूर्ण रूप से सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह भारतीय संस्कृति को व्यापक, एकजुट, पारदर्शी और

समावेशी तथापि तरीके से दर्शाने में सक्षम हो सके। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि आईसीसीआर के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए और इसकी रूपरेखा उन्हें तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(सिफारिश संख्या 27)

11. <u>आईसीसीआर के लिए 500 करोड़ रूपए के बजटीय आबंटन को बढ़ाने की संस्तुति की गयी।</u>

3.15 पिछले कुछ वर्षों में, समिति आईसीसीआर के लिए अपर्याप्त बजटीय और श्रमशक्ति संसाधनों के मुद्दे को भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा डालने वाले प्रमुख कारकों के रूप में चिह्नित कर रही है। समिति ने पाया है कि विदेश मंत्रालय के पास विश्व स्तर पर सबसे कम सॉफ्ट पावर बजट है, जो आईसीसीआर के विस्तारित जनादेश और गतिविधियों के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कई अवसरों पर समिति के समक्ष बजटीय आबंटन के समग्र कार्यकरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में स्वीकार किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आईसीसीआर को किए गए बजटीय आबंटन का विश्लेषण करते समय, समिति ने यह समझा कि जहां एक ओर आईसीसीआर निधियों की कमी का उल्लेख कर रहा है, वहीं विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमानित बजटीय आवंटन अपने आप में कम है। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि आईसीसीआर को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करना चाहिए और तदनुसार अगले वित्तीय वर्ष में अधिक बजट की मांग करनी चाहिए। समिति की यह भी इच्छा है कि आईसीसीआर वित्तीय संसाधनों और अन्य देशों के सॉफ्ट पावर संगठनों की आउटरीच गतिविधियों के आंकड़ों को संकलित करे ताकि बढ़े हुए बजटीय आवंटन के लिए एक बाध्यकारी मामला बनाया जा सके। समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि सरकार को भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत और व्यापक तरीके से संचालित करने के लिए आईसीसीआर को 500 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजटीय आवंटन का प्रावधान करना चाहिए।

(सिफारिश संख्या 28)

12. <u>आईसीसीआर को कलाकारों को पैनलबद्ध करने के लिए प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया है।</u>

3.46 भारतीय सांस्कृतिक मंडलियों को देश के बाहर भेजना आईसीसीआर की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंडलियां विश्व के विभिन्न देशों में प्रदर्शन करती हैं और इस तरह के प्रदर्शन हमारी सॉफ्ट पावर को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि रंगमंच और कठपुतली, कर्नाटकी, हिंदुस्तानी, लोक और आधुनिक प्रयोगात्मक सहित नृत्य जैसे विभिन्न कला रूपों में कलाकारों का एक पैनल मौजूद है। कलाकारों का पैनल आईसीसीआर द्वारा गठित विशेषज्ञ उप-समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया जाता है। हलांकि पैनल में शामिल कलाकारों की सूची आईसीसीआर वेबसाइट पर उपलब्ध है, किंतु समिति को विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों के नाम नहीं मिले। इसलिए, समिति ने मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि वह आईसीसीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेषज्ञों/उप-समितियों की सूचियों सहित पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में ब्यौरे प्रदर्शित करके कलाकारों के पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करे। आईसीसीआर को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि कलाकारों को विदेश भेजते समय उन्हें पर्याप्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

(सिफारिश संख्या 36)

13. <u>राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में विदेश भवन स्थापित किए जाएं।</u>

3.62 समिति ने यह नोट किया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में आईसीसीआर के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक दोनों कार्यों के लिए राज्य स्तर पर आउटरीच गतिविधियां आयोजित करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की तीन प्रमुख जिम्मेदारियां आईसीसीआर छात्रवृत्ति के विदेशी छात्रों की देखरेख करना, आने वाली सांस्कृतिक मंडलियों की मेजबानी करना और स्थानीय कलाकारों को शामिल करना है। आईसीसीआर क्षेत्रीय केन्द्र और संस्कृति मंत्रालय के क्षेत्रीय जोनल केन्द्रों के बीच अतिव्यापी अधिदेश के मुद्दे पर समिति को यह अवगत कराया गया है कि मंत्रालय के साथ प्रत्येक राज्य के विदेश

नीति पहलुओं का समन्वय करने के लिए सभी राज्यों में विदेश भवनों की एक श्रृंखला स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका को क्षेत्रीय विदेश भवनों के अंतर्गत समाहित किए जाने का प्रस्ताव है। विदेश भवनों की स्थापना के संबंध में मंत्रालय के निर्णय का स्वागत करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में ऐसे भवन खोले जाने चाहिए। मंत्रालय को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर समिति को एक समय-सीमा और बजटीय अपेक्षाओं के साथ विदेश भवनों की स्थापना के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया जाए।

(सिफारिश संख्या 40)

14. <u>विदेश मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक मिशन/पोस्ट में एक जन संपर्क अधिकारी हो।</u>

4.22 समिति इस बात से अवगत है कि विदेशों में भारतीय मिशन/पोस्ट भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक आउटरीच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। समिति ने यह नोट किया है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की सभी सांस्कृतिक गतिविधियां संबंधित देश में मिशनों/पोस्टों के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से की जाती हैं। मिशन/पोस्ट देश-विशिष्ट आवश्यकताओं और गतिविधियों को भी तैयार करते हैं जो सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में प्रभावी हो सकते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि मिशन मेजबान देश में होने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पता लगाते हैं और भारत की समुचित भागीदारी की सिफारिश करते हैं।

विदेशों में भारतीय मिशन/पोस्टों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि नकारात्मक प्रेस का मुकाबला करने में उत्साह की कमी है जिसके प्रभाव से विदेशों में हमारी छवि धूमिल होती है। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मिशन/पोस्ट में, विशेष रूप से ब्रांड इंडिया को राजनयिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जनसंपर्क अधिकारी हो। मिशनों/पोस्टों को संबंधित देश के साथ रचनात्मक, केंद्रित और सार्थक सांस्कृतिक जुड़ाव

के लिए वार्षिक सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा दिए जाने संबंधी योजनाओं को बनाना जारी रखना चाहिए।

(***सिफारिश संख्या 43)***